UPUN010033782026

न्यायालय सत्र न्यायाधीश, उन्नाव।

जमानत प्रार्थनापत्र सं0 1424/2026

जितेन्द्र सिंह पुत्र लाल बहादुर सिंह निवासी सुक्खा खेड़ा मतलबपुर थाना फतेहपुर चौरासी जिला उन्नाव।

....अभियुक्त।

बनाम

राज्य उत्तर प्रदेश द्वारा जिला शासकीय अधिवक्ता (फौ0) उन्नाव। ..... विपक्षी।

दिनांकः—06.07.2026

अभियुक्त जितेन्द्र सिंह ने, यह जमानत प्रार्थनापत्र मु0अ0सं0—139/2026 धारा—105 बी0एन0एस0 थाना फतेहपुर चौरासी जिला उन्नाव, में प्रस्तुत किया है। अभियुक्त न्यायिक अभिरक्षा में है।

अभियोजन के अनुसार संक्षेप में मामले के तथ्य है कि वादी मुकदमा प्रमोद कुमार सिंह ने इस आशय की तहरीर थानाध्यक्ष फतेहपुर चौरासी जनपद उन्नाव को दी कि आज दिनांक 25.04.2026 को समय करीब 5 बजे शाम को प्रार्थी के चाचा मन्नू सिंह उम्र करीब 65 वर्ष जो खेत की तरफ पैदल गये थे। सफीपुर चौधरी खेड़ा मोड़ सुक्खा खेड़ा पुल के पास प्रार्थी के चाचा मुन्नू सिंह को जितेन्द्र सिंह द्वारा अपने ट्रैक्टर आयशर को तेजी व लापरवाही से चलाते हुए टक्कर मार दी, जिससे चाचा मुन्नू सिंह घायल हो गये, जिनको स्थानीय लोगों द्वारा सरकारी अस्पताल सफीपुर भिजवाया। वहॉ से जिला अस्पताल उन्नाव रिफर किया गया, जहॉ इलाज के दौरान उनकी मृत्यु हो गयी। सूचना दर्ज करने की कृपा करें।

उपरोक्त तहरीर के आधार पर अभियुक्त जितेन्द्र सिंह के विरूद्ध धारा 281,106 बी.एन.एस. में दर्ज करायी गयी। दौरान विवेचना धारा 105 बी.एन.एस. में मुकदमा तरमीम किया गया।

अभियुक्त की ओर से जमानत प्रार्थना पत्र में कथन किया गया कि वह निर्दोष है। उसको रंजिशन झूठा फंसाया गया है। प्रथम सूचना रिपोर्ट राय मशविरा के आधार पर देरी से लिखाई गयी है। प्राथमिकी पहले धारा 281,106 बी.एन.एस. में दर्ज करायी गयी। बाद में विवेचक ने धारा 105 बी.एन.एस. में तरमीम कर दिया। वस्तुतः प्रार्थी के पिता लाल सिंह मृतक मुन्नू सिंह और कप्तान सिंह तीनों सगे भाई थे, जिसमें वादी प्रमोद सिंह, कप्तान सिंह का पुत्र है। मृतक मुन्नू सिंह के कोई संतान नहीं थी और उक्त ट्रैक्टर जिससे दुर्घटना होना कहा जाता है, मुन्नू सिंह का था, प्रपत्र संलग्न है। मृतक मुन्नू सिंह के संतान न होने के कारण प्रार्थी ही उनकी समस्त देख रेख करता था और मृतक मुन्नू सिंह के सन्निकट होने के कारण चचेरे भाई वादी मुकदमा प्रमोद कुमार सिंह इस बात से बहुत क्षुब्ध थे और उनको यह विश्वास हो चुका था कि मृतक मुन्नू सिंह भविष्य में अपनी सारी प्रापर्टी जितेन्द्र सिंह को दे देंगे। इस

Digitally signed by ANIL KUMAR VERMA
Date: 2026.07.06 04:45:38 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

सम्बन्ध में कई बार प्रमोद सिंह पहले ही प्रार्थी को सचेत कर चुके थे कि ऐसा फसाऊंगा कि तुम्हारी तीन पुस्ते याद रखेगी। इसी रंजिश में उक्त प्रथम सूचना रिपोर्ट उसके विरूद्ध दर्ज करायी गयी। मृतक का एक्सीडेण्ट किसी अन्य अज्ञात वाहन से हुआ, जिसकी सूचना मिलने पर प्रार्थी अपने परिवार वालों के साथ तुरन्त मृतक मुन्नू सिंह को सफीपुर सी.एस.सी. ले गये। गम्भीर चोटों के कारण उसे तुरन्त जिला अस्पताल ट्रांसफर कर दिया, जहॉ पर उसकी इलाज के दौरान मृत्यु हो गयी। मृत्यु की खबर पाकर अगले दिन 26.04.2026 को वादी मुकदमा ने षडयंत्र के तहत प्रार्थी के विरूद्ध प्राथमिकी दर्ज करा दी। प्रार्थी व उसके पिता के पास स्वयं का कोई ट्रैक्टर नहीं है। प्राथमिकी में दिया गया तथ्य असत्य व भ्रामक है। घटना का कोई स्वतंत्र साक्षी नहीं है। घटना की प्राथमिकी जमानती धाराओं में दर्ज कराने के बावजूद सम्पत्ति के लालच में वादी मुकदमा ने बाद में पुलिस से सांठ गांठ करके उसे धारा 105 बी.एन.एस. में तरमीम करवा दिया। घटना का मोटिव प्राथमिकी में उल्लेख नहीं है। प्रार्थी दाहिने हाथ से 40 प्रतिशत से अधिक विकलांग है, गाड़ी चलाने की बात गलत है। प्रार्थी पर लगाया गया कोई भी अपराध प्रथम दृष्टया नहीं बनता है। उसका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। उसका यह प्रथम जमानत प्रार्थनापत्र है। अन्य कोई जमानत प्रार्थनापत्र न तोदिया गया है, न विचाराधीन है और न खारिज हुआ है। प्रार्थी जमानत पर छूटने के बाद न तो कहीं भागेगा और न ही गवाहान सबूत को तोड़ेगा। उपरोक्त आधारों पर जमानत पर रिहा किये जाने की प्रार्थना की गयी।

अभियोजन का कथन है कि मामला गंभीर प्रकृति का है। अतः जमानत प्रार्थना पत्र को निरस्त करने का अनुरोध किया गया।

अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता, विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (दाण्डिक) उन्नाव को सुना तथा उपलब्ध प्रपत्रों व अन्य सुसंगत प्रपत्रों का अवलोकन किया।

अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क दिया गया है कि वह निर्दोष है। उसको रंजिशन झूठा फंसाया गया है। प्रथम सूचना रिपोर्ट राय मशविरा के आधार पर देरी से लिखाई गयी है। प्राथमिकी पहले धारा 281,106 बी.एन.एस. में दर्ज करायी गयी। बाद में विवेचक ने धारा 105 बी.एन.एस. में तरमीम कर दिया। मृतक मुन्नू सिंह वादी मुकदमा एवं प्रार्थी–अभियुक्त के सगे चाचा थे। मृतक मुन्नू सिंह के कोई संतान नहीं थी और उक्त ट्रैक्टर जिससे दुर्घटना होना कहा जाता है, मुन्नू सिंह का था। मृतक मुन्नू सिंह के संतान न होने के कारण प्रार्थी ही उनकी समस्त देख रेख करता था और मृतक मुन्नू सिंह के सन्निकट होने के कारण चचेरे भाई वादी मुकदमा प्रमोद कुमार सिंह इस बात से बहुत क्षुब्ध थे और उनको यह विश्वास हो चुका था कि मृतक मुन्नू सिंह भविष्य में अपनी सारी प्रापर्टी जितेन्द्र सिंह को दे देंगे। इसी रंजिश में उक्त प्रथम सूचना रिपोर्ट उसके विरूद्ध दर्ज करायी गयी। मृतक का एक्सीडेण्ट किसी अन्य अज्ञात वाहन से हुआ, जिसकी सूचना मिलने पर प्रार्थी अपने परिवार वालों के साथ तुरन्त मृतक मुन्नू सिंह को सफीपुर सी.एस.सी. ले गये। घटना का कोई स्वतंत्र साक्षी नहीं है। घटना का मोटिव प्राथमिकी में उल्लेख नहीं है। प्रार्थी दाहिने हाथ से 40 प्रतिशत से अधिक विकलांग है, गाड़ी चलाने की बात गलत है। प्रार्थी पर लगाया गया

कोई भी अपराध प्रथम दृष्टया नहीं बनता है। उसका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। अतः उसके द्वारा जमानत पर छोड़े जाने की प्रार्थना की गयी।

अभियोजन की ओर से तर्क दिया गया है कि दिनांक 25.04.2026 को समय करीब 5 बजे शाम को वादी के चाचा मुन्नू सिंह खेत की तरफ पैदल गये थे। सफीपुर चौधरी खेड़ा मोड़ सुक्खा खेड़ा पुल के पास वादी के चाचा मुन्नू सिंह को जितेन्द्र सिंह द्वारा ट्रैक्टर से टक्कर मार दी और बाद में डण्डे से मारपीट कर घायल कर दिया और दौरान इलाज उनकी मृत्यु हो गयी। चश्मदीद साक्षी रामपाल ने बयान अंतर्गत धारा 180 बी.एन.एस.एस. में कथन किया है कि दिनांक 25.04.2026 की शाम का वह किसी काम से तकिया चौराहा पर जा रहा था। जैसे ही वह नहर पुल सुक्खाखेड़ा रमेश के खेत के पास पहुॅचा तो उसने देखा कि गॉव के ही जितेन्द्र सिंह पुत्र लाल बहादुर सिंह ने अपने चाचा मुन्नू सिंह को ट्रैक्टर से रौंद दिया और मुन्नू सिंह पर डण्डे से वार कर रहे थे। वह घबरा गया और सफीपुर चौधरी खेड़ा की तरफ से लोग मोटरसाइकिल से आ जा रहे थे। ग्राम मुन्नूखेड़ा के श्री छोटा पुत्र शिवनाथ सिंह व जागेश्वर पुत्र रूपन भी आ गये तो सभी लोगों को देखकर जितेन्द्र सिंह ट्रैक्टर लेकर गॉव की तरफ भाग गया था। मुन्नू सिंह घायल अवस्था में पड़े थे। जितेन्द्र सिंह द्वारा मुन्नू सिंह को डण्डे से पीटते समय कुछ लोगों ने वीडियो भी बनायी थी तथा पुलिस को सूचना दी थी और एम्बुलेंस को भी फोन किया था। फिर मन्नू सिंह को एम्बुलेस में इलाज हेतु सफीपुर भिजवा दिया था। मुन्नू सिंह को काफी चोट थी और ब्लड भी निकल रहा था। बाद में गॉव में ये भी चर्चा हो रही थी कि आयसर ट्रैक्टर मुन्नू सिंह के नाम था, जिसको जितेन्द्र सिंह ने लिया है, जिसका कुछ हिसाब किताब मुन्नू सिंह का जितेन्द्र सिंह से था। इसीलिए जितेन्द्र सिंह ट्रैक्टर ले जाता था तो मुन्नू सिंह उसको रोकता था। उक्त कथन का समर्थन साक्षी जागेश्वर ने भी अपने बयान में किया है। केस डायरी के पर्चा सं01 के पैरा–6 में यह अंकित है कि सोशल मीडिया में उक्त घटना के सम्बन्ध में दो वीडियों वायरल हो रही है। एक वीडियों में एक व्यक्ति मृतक मुन्नू सिंह को लाठी–डण्डे से मारपीट कर रहा है, पास में एक आयशर 333 सिल्वर कलर का खड़ा है तथा दूसरी वीडियों में मृतक मुन्नू सिंह झाड़ियों में पड़े है तथा दर्द से करहा रहे है और मारपीट करने वाला व्यक्ति उपरोक्त ट्रैक्टर को चलाकर मौके से ले जाते हुए दिखाई पड़ रहा है। दोनों वीडियों को देखने से यह प्रमाणित होता है कि मृतक मुन्नू सिंह की मृत्यु उपरोक्त व्यक्ति द्वारा कारित किये गये कृत्य से हुई है, न कि सड़क दुर्घटना से। उपरोक्त वीड़ियो पेन ड्राइव में सेव कर केस डायरी के साथ एक कपड़े में सील बंद करके संलग्न की गयी है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मृतक के शरीर पर कुल 6 चोटें आना दर्शाया है, जिसमें चोट नं0 1 लगायत 5 फटे हुए घाव की चोटें चेहरे, दाहिने कान, बाये पैर, बाये हाथ पर आयी है तथा चोट सं0 6 में सीने व पेट में चोटे आयी है और पसली में फ्रैक्चर होना बताया है। डाक्टर ने उपरोक्त चोटों से उत्पन्न शॉक एवं रक्तस्राव से मृत्यु होना बताया गया है। अभियुक्त द्वारा कारित अपराध गम्भीर प्रकृति का है।

उपरोक्त तथ्य एवं परिस्थितियों एवं अपराध की गम्भीरता को दृष्टिगत रखते हुए जमानत के आधार पर्याप्त नहीं है तथा जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

अभियुक्त जितेन्द्र सिंह द्वारा मु0अ0सं0–139/2026 धारा–105 बी0एन0एस0 थाना फतेहपुर चौरासी जिला उन्नाव में प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र संख्या–1424/2026, निरस्त किया जाता है।

दिनांक–06.07.2026

(अनिल कुमार वर्मा–प्रथम)
सत्र न्यायाधीश, उन्नाव।
जेओ कोड यूपी 6552